कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम),
जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

जिला न्यायालय रोहिणी परिसर, दिल्ली से बेकार कागज, पुराने समाचार पत्र, पत्रिका, रद्दी आदि की खरीद के लिए इच्छुक पार्टियों/ठेकेदारों से अपनी दरें प्रस्तावित करने के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

उपर्युक्त उल्लेखित बेकार कागज, पुराने समाचार पत्र, पत्रिका, रद्दी आदि की खरीद के लिए प्रति किलोग्राम के मूल्य का हवाला देते हुए निविदाएं सीलबंद लिफाफे में दिनांक 07.10.2024 को अपराह्न 03:00 बजे तक देख रेख शाखा (Care Taking Branch), पोर्टा केबिन नंबर 5 डी, 5 वीं मंजिल, मुख्य न्यायालय भवन, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली में रखे सीलबंद बॉक्स में डाली जानी चाहिए।

आवेदकों को अपनी निविदा के साथ **"प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम), रोहिणी न्यायालय, दिल्ली"** के नाम पर देय रुपये 5000/- (रुपये पाँच हज़ार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट/पे ओर्डर (लौटाए जाने योग्य) संलग्न करना होगा तथा इसके अभाव में किसी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। असफल आवेदकों को डिमांड ड्राफ्ट/पे ओर्डर तुरंत वापस कर दिया जाएगा और सफल आवेदक को प्रतिभूति राशि जमा करवाने के बाद यह लौटा दिया जाएगा।

इस संबंध में नियम एवं शर्तें तथा अन्य कोई भी जानकारी देख रेख शाखा (Care Taking Branch), पोर्टा केबिन नंबर 5 डी, 5 वीं मंजिल, मुख्य न्यायालय भवन, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली से प्राप्त की जा सकती है तथा कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.delhidistrictcourts.nic.in पर भी देखी/जांची जा सकती है।

सीलबंद निविदाएं दिनांक 08.10.2024 को अपराह्न 04:00 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, 5 वीं मंजिल, मुख्य न्यायालय भवन, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली में खोली जाएंगी।

दीपक डबास
17/9/2024

(दीपक डबास)
अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद्
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(उत्तर-पश्चिम एवं उत्तरी), जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली

रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली से बेकार कागज/पुराने समाचार पत्र, पत्रिका, रद्दी आदि की बिक्री के संबंध में नियम व शर्तें

1. यह कि ठेकेदार कार्यालय से मौखिक या लिखित रूप से सूचना मिलने के तुरंत बाद जिला न्यायालय रोहिणी परिसर, दिल्ली से सभी बेकार कागज़ / पुराने समाचार पत्र, पत्रिका, रद्दी इत्यादि को हटा लेगा ।

2. यह कि ठेकेदार को ऐसे सामान को हटाने के लिए आवश्यक बैग, बक्से, वाहन और श्रमिक आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

3. यह कि ठेकेदार को देखरेख शाखा (Care Taking Branch), जिला न्यायालय रोहिणी परिसर के अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति में सरकार द्वारा अधिकृत धर्मकांटा से बेकार कागज़, समाचार पत्र, मैगजीन, रद्दी आदि का वजन करवाना होगा और दर के अनुसार पूरी राशि देख रेख शाखा (Care Taking Branch), पोर्टा केबिन नंबर 5 डी, 5 वीं मंजिल, मुख्य न्यायालय भवन, जिला न्यायालय रोहिणी परिसर, दिल्ली में जमा करानी होगी। वजन करने का व्यय ठेकेदार द्वारा स्वयं किया जाएगा। देखरेख शाखा (Care Taking Branch) को बेकार कागज़ / पुराने अखबार, रद्दी आदि की बिक्री के बदले ठेकेदार से प्राप्त धनराशि रोकड़ अनुभाग (Cash Branch) (उत्तर-पश्चिम), जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली में जमा करानी होगी।

4. यह कि ठेकेदार को यह वचन-पत्र देना होगा कि वह रद्दी कागज का उपयोग केवल पुनर्चक्रण (Recycling) के लिए ही करेगा।

5. यह कि राशि का भुगतान नहीं करने पर ठेकेदार को प्रतिदिन के हिसाब से 500/- (पांच सौ रुपये मात्र) का जुर्माना नकद देना होगा।

6. यह कि ठेकेदार द्वारा जिला न्यायालय रोहिणी परिसर से बेकार कागज़ / पुराने समाचार पत्र, पत्रिका, रद्दी आदि को हटाने के अभाव में देखरेख शाखा, जिला न्यायालय रोहिणी परिसर, दिल्ली द्वारा उस दिन के लिए ठेकेदार से श्रमिक शुल्क जो रुपये 1000/- है लिया जाएगा तथा सम्बंधित कार्यालय को ठेकेदार के जोखिम / लागत पर अपशिष्ट / पुराने समाचार पत्र, पत्रिका, रद्दी आदि को हटाने का अधिकार होगा।

7. यह कि जिला न्यायालय रोहिणी परिसर से बेकार कागज़ / समाचार पत्र / पत्रिका, रद्दी आदि को हटाने के लिए आवश्यक सभी बैग, बक्से, ट्रॉली, वाहन, श्रमिक आदि को ठेकेदार द्वारा अपनी लागत और व्यय पर लगाए जाएंगे और उसे जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली के परिसर में रद्दी / कचरे की शॉर्टिंग / छंटाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. यह कि ठेकेदार द्वारा जिला न्यायालय रोहिणी परिसर से रद्दी/पुराने अखबार, पत्रिका, रद्दी आदि को "जैसा है जहां है" के आधार पर लिया जाएगा।

9. कि यह अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) एक दर अनुबंध (रेट कॉन्ट्रैक्ट) है और अनुबंध की अवधि के दौरान उपलब्ध बेकार कागजों की मात्रा के बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है।

10. यह कि ठेकेदार द्वारा वर्तमान अनुबंध के तहत सभी दायित्वों के उचित और विश्वसनीय निष्पादन के लिए रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) की सुरक्षा राशि देखरेख शाखा, जिला न्यायालय, रोहिणी, में जमा कराई जाएगी।

11. यह कि ठेकेदार द्वारा जमा की गयी सुरक्षा राशि (सिक्योरिटी) ब्याज मुक्त होगी।

12. यह कि ठेकेदार द्वारा अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के किन्हीं नियमों या शर्तों के उल्लंघन करने की स्थिति में कार्यालय को, अन्य अधिकारों और शक्तियों के अलावा, ठेकेदार को 15 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को तुरंत रद्द / समाप्त करने का अधिकार होगा और सुरक्षा राशि के रूप में जमा किये गए रुपये 10,000/- (दस हज़ार रुपये मात्र) को जब्त किया जाएगा तथा इसके अलावा इस तरह के उल्लंघन से हुए नुकसान की भरपाई भी की जायेगी। अनुबंध पूरा हो जाने के बाद जमा की गयी सुरक्षा राशि नियमानुसार और उसपर देय व बकाया राशि, यदि कोई है तो, आदि का निपटारा करने के बाद ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी।

13. यह कि उपरोक्त किसी भी बात के बावजूद, कार्यालय के लिए यह वैध होगा की कार्यालय ठेकेदार को एक कैलेंडर माह की लिखित सूचना (बिना कोई कारण बताये) देकर किसी भी समय इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है, जबकि ठेकेदार कार्यालय को लिखत रूप में दो कैलेंडर महीने का नोटिस देकर इस अनुबंध को समाप्त करने का हक़दार होगा, परन्तु अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) जारी होने से चार महीने की अवधी समाप्त होने से पहले नहीं।

14. यह कि ठेकेदार या उसके एजेंटों या नौकरों के किसी भी कार्य / चूक के परिणामस्वरूप कार्यालय की किसी भी सम्पति को होने वाले सभी नुकसानों के लिए ठेकेदार कार्यालय द्वारा लगाए गए भुगतान / जुर्माने की भरपाई करेगा।

15. यह कि ठेकेदार अनुबंध की अवधी के दौरान इस कार्यालय द्वारा आधिकारिक तौर पर उसे सूचित किये गए सुरक्षा निर्देशों / अपेक्षाओं (लिखित और मौखिक दोनों) का सख्ती से पालन करेगा। ठेकेदार को रद्दी / अपशिष्ट कागज़ / सामग्री लेने और हटाने के लिए नियुक्त एजेंटों / श्रमिकों की पहचान प्रमाण / फोटो जमा कराना होगा। ठेकेदार और उसके एजेंटों या श्रमिकों के पूर्ववृत (एंटीसीडेंट्स) के सत्यापन (वेरिफिकेशन) की लागत ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन की जायेगी और सम्बंधित पुलिस द्वारा उसका सत्यापन कराया जाएगा।

16. यह कि ठेकेदार इस कार्यालय की पूर्व सहमति के बिना इस अनुबंध के कार्य के किसी भाग या उसके किसी भी हिस्से या उसके तहत भुगतान के किसी भी अधिकार को किसी को नहीं सौंपेगा न ही अधीन करेगा और न ही भाड़े पर देगा, या उसके निष्पादन के प्रयोजन के लिए किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने साथ सम्बन्ध करेगा या न्यास को तौर पर सौंपेगा।

17. यह कि इस समझौते या इसके विषय वस्तु या पार्टियों के प्रतिनिधि अधिकारों, कर्तव्यों या दायित्व से सम्बंधित या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले समस्त विवादों, मतभेदों और प्रश्नो को विद्वान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम), जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली या उनके द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति के एकमात्र विवाचन (आर्बिट्रेशन) के लिए भेजा जाएगा। यह विवाचन (आर्बिट्रेशन) "आर्बिट्रेशन कन्सीलिएशन एक्ट 1996" के अनुसार होगी। विवाचक (आर्बिट्रेटर) पक्षकारों की सहमति से आर्बिट्रेशन के समय को बढ़ाने का हकदार होगा। लंबित विवाचन कार्यवाही (पेंडिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग) के आधार पर समझौते का कोई भी हिस्सा निलंबित नहीं किया जाएगा।

18. यह अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) समझौते (एग्रीमेंट) के निष्पादन (एग्ज़िक्यूशन) के दिन से शुरू होकर दो साल के लिए दिया जाता है और इसे ठेकेदार के प्रदर्शन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी / विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन दो साल के अवधि के बाद बढ़ाया जा सकता है।

दीपक डबास
19/9/2024

(दीपक डबास)
अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद्
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(उत्तर-पश्चिम एवं उत्तरी), जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली

28738-28759
No. RC/CTB/2024 **Dated** 19/09/2024

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर), रोहिणी न्यायालय, दिल्ली के व्यक्तिगत सचिव को सूचनार्थ।
2. सभी जिला न्यायालय परिसरों में कंप्यूटर शाखा के प्रभारियों को इस अनुरोध के साथ कि जिला न्यायालय की अपनी अपनी वेबसाइट पर नियम एवं शर्तों के साथ नीलामी सूचना अपलोड करें।
3. सभी जिला न्यायालय, दिल्ली स्थित प्रभारी, देखरेख शाखा को इस अनुरोध के साथ कि इस नोटिस, नियम और शर्तों को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाएं।
4. प्रभारी, देखरेख शाखा, जिला न्यायालय, रोहिणी को नीलामी प्रक्रिया हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के लिए।

दीपक डबास
19/9/2024

अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद्
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(उत्तर-पश्चिम एवं उत्तरी), जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली